न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 200/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/414

निर्णय दिनांक 23.06.2025

प्रेमाराम पुत्र जैसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—प्रतिवादी—

2. माली पत्नी जैसाराम
3. परसाराम
4. मोहनलाल
5. भंवरी
6. शान्ति

पुत्रगण/पुत्रियां जैसाराम — जातियान ब्राह्मण निवासीगण पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—गौण प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 ता 6

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तूत है कि वादी पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान) का स्थायी निवासी है। वादी का संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 176 तादादी 12.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 207 क्षेत्रफल 10.2900 हैक्टेयर रोही ग्राम पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा अवस्थित है। जमाबंदी में वादी का नाम पेमाराम पुत्र जैसाराम अंकित है। वादगत कृषि भूमि वादी के पिता जैसाराम की मृत्यु के उपरान्त वादी को विरास्तन प्राप्त हुई है जिसका नामान्तरणकरण संख्या 2659 के द्वारा वादी को प्राप्त हुई है। उपरोक्त नामान्तरणकरण के समय वादी को घरेलू बोल चाल में पेमाराम कहते थे इसलिए वादी का नाम पेमाराम अंकित कर दिया गया। वादी का वास्तविक नाम प्रेमाराम पुत्र जैसाराम है। जमाबंदी में पेमाराम होने से नाम की भिन्नता के चलते वादी को उपरोक्त वादगत कृषि भूमि के सुधार के लिए के.सी.सी. बनवाने हेतु काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वादी के समस्त पहचान के दस्तावेजो में वादी का नाम प्रेमाराम अंकित है। वादगत खसरा भूमि में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया है इस बाबत वादी दिनांक 24.09.2024 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि जिस पर प्रतिवादी ने वादी का सही नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया व वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम सही अंकित व शुद्धिकरण करना सम्भव नही है। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से प्रतिवादी के हितो पर कोई विपरित असर नही पड़ेगा जबकि इसके विपरित सही नाम दर्ज नही होने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी के पास वादगत खेत राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध नाम प्रेमाराम दर्ज करवाने के लिए घोषणा की डिक्री के अलावा अन्य कोई अनुतोष नही है। वादगत खेत वादी की खातेदारी [illegible] कब्जा काश्त होने के कारण वादी को खिलाफ प्रतिवादी वादाधार हासिल है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक [illegible].09.2024 को वादी का वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज नहीं करने से वादी को प्रतिवादी के खिलाफ वादहेतू हासिल है। वादी द्वारा प्रस्तूत घोषणात्मक दावा में राजस्थान राज्य आवश्यक पक्षकार है राजस्थान राज्य को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर व तुरन्त अनुतोष प्राप्ति का होने के कारण धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:42 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

त्र अलग से प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् की अनुमति से यह दावा प्रस्तूत किया जा रहा है। गौण प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को फोरमल पक्षकार बनाया गया है उनसे किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं की गई है। वादगत खेत रोही पुनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से यह दावा श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तूत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तूत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे –

(क) कि घोषित किया जावे कि वादगत खेत खसरा नम्बर 176 तादादी 12.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 207 क्षेत्रफल 10.2900 हैक्टेयर रोही ग्राम पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे वादी का नाम पेमाराम की जगह प्रेमाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अंकन किया जावे।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दोराने दावा हो जाये व भी वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पर अपनी सहमहत प्रदान की गई। स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादीगण को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 176 तादादी 12.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 207 क्षेत्रफल 10.2900 हैक्टेयर रोही ग्राम पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे वादी का नाम पेमाराम की जगह प्रेमाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:42 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिकडिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

प्रेमाराम पुत्र जैसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
2. माली पत्नी जैसाराम
3. परसाराम
4. मोहनलाल
5. भंवरी
6. शान्ति

(3 से 6) पुत्रगण/पुत्रियां जैसाराम — जातियान ब्राह्मण निवासीगण पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर .

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर 200/2024
निर्णय दिनांक 23.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से राजाराम नैण एवं प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकाराराज व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 की ओर से अधिवक्ता के.के. पुरोहित मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 176 तादादी 12.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 207 क्षेत्रफल 10.2900 हैक्टेयर रोही ग्राम पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे वादी का नाम पेमाराम की जगह प्रेमाराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........0..........फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 माह 06 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमि[illegible] फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ